

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1558  
दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए

खनिजों का आयात

†1558.श्री बैन्नी बेहनन:

डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 2019 से आयातित खनिजों की मात्रा और मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त पिटिंग, ट्रेडिंग, ड्रिलिंग और उपसतह उत्खनन जैसी गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
- (ग) सरकार का विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व के खनिजों की नीलामी के लिए संसाधन प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार समन्वय करने का विचार है; और
- (घ) क्या इस अधिनियम से आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान डाले बिना खनिज आयातों पर आर्थिक निर्भरता कम होने की आशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 तक शीर्ष दस प्रमुख खनिजों (जो प्रमुख खनिजों के आयात मूल्य का 97% से अधिक है) के आयात की वर्ष-वार मात्रा और मूल्य अनुबंध में दिए गए हैं। राज्य-वार व्यापार डेटा नहीं रखा जाता है। निर्यात/आयात डेटा उत्पाद/देश/अवधि-वार उपलब्ध है।

(ख) विभिन्न खनिज वस्तुओं के लिए गड्ढे खोदने, खाई खोदने और वेधन करने जैसे गवेषण कार्यकलाप पर्यावरणीय मुद्दों का उचित ध्यान रखते हुए किए जाते हैं। विशेष रूप से वन क्षेत्रों

में, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उसके बाद के संशोधनों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वन प्राधिकारियों से उचित अनुमति लेने के बाद गवेषण कार्यकलाप किए जाते हैं।

(ग) और (घ): महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए खनन पट्टे और संयुक्त अनुज्ञप्ति की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार दिया गया है।

यद्यपि महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तथापि खनन पट्टे राज्य सरकारों द्वारा ही दिए जाते हैं और खनन कार्यों से प्राप्त होने वाला राजस्व भी राज्य सरकारों को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के संसाधन प्रबंधन के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों और शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन है।

उक्त संशोधन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन को बढ़ाना तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। वे कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए और 2070 तक भारत की 'नेट जीरो' प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अपेक्षित नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी से अनेक महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और भारत की औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योगों का विकास करना शामिल है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में इन खनिजों की एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने और वर्धित आर्थिक विकास में योगदान देने की दिशा में एक कदम है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

'खनिजों का आयात' के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को उत्तर दिए जाने वाले के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1558 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका: प्रमुख खनिजों का आयात

(मात्रा लाख टन में)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

खनिज	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तांबा अयस्क और सांद्र	8.23	12,146	8.22	8,668	4.15	5,907	10.19	22,381	11.78	27,374	10.16	25,951
फॉस्फोराइट	75.04	5,625	76.38	5,402	77.25	5,316	96.25	10,433	90.89	15,125	88.02	12,649
मैंगनीज अयस्क	27.56	4,848	28.42	4,128	39.52	5,524	65	9,642	46.41	8,262	55.98	7,760
चूना पत्थर	243.97	3,667	256.39	3,743	227.97	3,291	275.82	4,901	297.36	6,259	338.09	6,616
लौह अयस्क	168.31	5,914	75.15	941	72.42	845	66.81	3,539	17.91	1,595	49.59	4,397
बॉक्साइट	20.75	1,222	22.46	1,081	30.33	1,370	30.08	1,895	35.95	2,340	45.02	2,822
एस्बेस्टस	3.64	1,225	3.61	1,243	3.08	1,185	4.37	1,663	4.04	2,294	4.65	2,326
सल्फर	13.46	1,522	12.35	824	14.63	1,095	18.95	3,536	13.37	2,677	17.08	1,737
मैग्नेसाइट	3.48	1,073	3.01	928	3.06	750	3.74	1,279	4.75	1,529	4.72	1,480
फ्लुओरस्फार	2.58	713	2.32	707	2.13	593	2.81	767	3.04	1,134	2.52	1,030
अन्य	3.32	649	2.70	492	3.03	549	3.98	1,079	2.75	1,536	3.59	1,865
कुल	570.34	38,604	491.01	28,157	477.57	26,425	578.00	61,115	528.25	70,125	619.42	68,633